

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. आदर्श सिंह पुत्र विजय कान्त नि0 रेहरवा दुलहापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—131 / 21, 02. कुलदीप वर्मा पुत्र रामकरन वर्मा नि0 ग्राम शंकर मलारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—132 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. छोटई सोनकर पुत्र मन्टू सोनकर नि0 ग्राम नरायनपुर खटिकहिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 22 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—205 / 21, 02. रमेश सिंह पुत्र राम सूरत नि0 ग्राम बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—206 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कीर्ति पत्नी शुभम नि0 ग्राम गरिबाजोत थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—174 / 21, 02. वंशा उर्फ मंजू पत्नी स्व0 रामअवतार नि0 ग्राम गरिबाजोत थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—175 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुमिरता पत्नी महादेव नि0 नयनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—209 / 21, 02. रत्नेश कुमार पुत्र महेश्वरी प्रसाद नि0 कछुवनबुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—210 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मोले पुत्र रघुवीर निः 0 ग्राम पण्डित परसिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—185/21, 02. सहजराम पुत्र हरिराम लोनिया निः 0 लोनियन पुरवा मौजा पूरेमहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—186/21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

06. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विनय कुमार पुत्र दयाशंकर चतुर्वेदी निः 0 ग्राम पिपरा चौबे थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—192/21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

07. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन कुमार पुत्र काशीराम निः 0 दुल्हापुर मौजा उम्मेदजोत थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—567/21, 02. नानमून पुत्र रामधीरज निः 0 पंडित पुरवा मौजा धनौली थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—568/21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

08. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. धिसियावन पुत्र चैतू निः 0 कुवरी मुबारकपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—107/21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

09. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामकृपाल उर्फ झगरू पुत्र स्व० बाबूराम निः 0 छोटकईपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—237/21, 02. रामगोपाल पुत्र रामकृपाल निः 0 छोटकईपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—238/21, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.07.2021

चोरी की मोटरसाईकिल व अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाहन चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनकम में थाना कटराबाजार पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त अरुण सिंह को गिरफ्तार उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल व जामातलाशी के दौरान 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। मोटरसाईकिल के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाईकिल कुछ दिन पूर्व थाना करनैलगंज क्षेत्र से चोरी की थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अरुण सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० ग्राम धर्मपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-२३९/२१, धारा ३/२५ आर्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-२४०/२१, धारा ४११,४१९,४२० भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

उ०नि० कृष्ण कुमार सिंह।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.07.2021

चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वाहन चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को ० देहात पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्त अजीत सिंह को गिरफ्तार उसके कब्जे से चोरी की ०१ अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। मोटरसाईकिल के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त अजीत सिंह ने बताया कि यह मोटरसाईकिल लगभग ०१ वर्ष पूर्व मैंने जनपद बलरामपुर से चोरी किया था। जिसकी नम्बर प्लेट बदलकर उपयोग कर रहा था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

०१. अजीत सिंह पुत्र अजय कान्त सिंह नि० आनन्द नगर रेहरवा मौजा दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

०१. मु०अ०सं०—२८६ / २१, धारा ४११,४१९,४२०,४६७,४६८,४७१ भादवि थाना को ० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

०१. ०१ अदद सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल।

गिरफ्तारकर्ता टीम:-

व०उ०नि० केदार राम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.07.2021

सरकारी अनाज की हेरा—फेरी करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने मु०अ०सं०—२८५/२०२१, धारा ३/७ ई०सी० एकट से सम्बन्धित ०२ अभियुक्तों—०१. आशीष कुमार, ०२. अरविन्द कुमार को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण संगम ट्रान्सपोर्ट के ट्रक ड्राइवर थे जो सरकारी अनाजों को गोदामों में ले जाते समय रास्ते में कुछ अनाज की हेरा—फेरी कर लिया करते थे। जिसके सम्बन्ध में विपणन निरीक्षक बमजोत जितेन्द्र प्रताप ने थाना को० देहात में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

०१. आशीष कुमार पुत्र जगदम्बा प्रसाद नि० भवानीपुर मुजहना थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
०२. अरविन्द कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि० जोगीजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

०१. मु०अ०सं०—२८५/२१, धारा ३/७ ई०सी०एकट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

०१. उ०नि० मानेन्द्र सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.07.2021

**मारपीट करने व अवैध तमंचे के आरोप में फर्जी फंसाने व जेल भिजवाने की धमकी
देना वाला अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० करनैलगंज ने मु0अ0स0—268/21, धारा 323,504,506,342 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राघवराम को मुखबिर खास की सूचना पर काशीपुर डीहा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 23.07.2021 को वादी वेदप्रकाश शुक्ला को गाली—गुप्ता देते हुए मारा—पीटा था तथा अवैध तमंचे के आरोप फर्जी फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राघवराम पुत्र राजकिशोर नि० ग्राम काशीपुर डीहा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—270/21, धारा 3/25 आम्र्स एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० बृजेश कुमार गुप्ता।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.07.2021

जानलेवा हमला व चोरी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0—240/20, धारा 382 भादवि0, मु0अ0सं0—429/20, धारा 307,456,379,411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामकेवल लोनिया को मुखबिर खास की सूचना पर खड़ौरा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 19.08.2020 की रात्रि अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर ग्राम बरसड़ा के एक घर में चोरी की थी तथा दिनांक 23.12.2020 की रात्रि वादी संदीप वर्मा पुत्र रामधीरज शर्मा नि0 कुर्मिनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के पिता को जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डे से मारा-पीटा था तथा तमंचे से फायर कर दिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामकेवल लोनिया पुत्र रामनरेश लोनिया ग्राम कोच काशिमपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—240/20, धारा 382 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0—429/20, धारा 307,456,379,411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः—

01. मु0अ0सं0—115/02, धारा 302 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0—295/04, धारा 307 भादवि व 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एकट थाना करनैलगंज गोण्डा।

03. मु0अ0सं0—296/04, धारा 3/25 आम्स एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0—276/08, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0सं0—439/11, धारा 401/307 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

06. मु0अ0सं0—440/11, धारा 7 सी0एल0ए0 एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

07. मु0अ0सं0—441/11, धारा 3/25 आम्स एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

08. मु0अ0सं0—442/11, धारा 4/25 आम्स एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

09. मु0अ0सं0—227/12, धारा 110 सीआपीसी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

10. मु0अ0सं0—187/14, धारा 110 सीआरपीसी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व0उ0नि0 जयहरी मिश्रा।

